

8<sup>2</sup>/<sub>2021</sub> पञ्जावनी पेश हुई। वादी व वकील  
वादी उपस्थित। वादी व वकील वादी  
में बलाप विपक्षकारण में आपस में  
शहीनामा हो गया है। इसलिए इसवाद  
में आगे कोई जायिवाही नहीं चाहते  
हैं। वाद पत्र खारिज कर दिया जाये।  
वादी व वकील वादी के अगुरो द्वारा  
दावा वादी खारिज किया जाता है।  
पञ्जावनी फौसल सुनार होडा नामा से  
कम होडा दफ्तर डायिन हो।

(12)

(बृजेश कुमार)

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (जीकर)